

अनुदान संख्या 78 - भू-संसाधन विभाग
GRANT No. 78-DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1053,66,00	957,18,67	-96,47,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			96,38,25

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2501"	Major Head "2501"			
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development			
मू.	O.	88600.00		
पु.	R.	-1461.96		
			87138.04	87132.76
				-5.28
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	10000.00		
पु.	R.	-10000.00		
		

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

अधिक व्यय+
Excess+
बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	6150.00	8245.74	8245.22	-0.52
पु.	R.	2095.74			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	150.00	30.83	31.35	+0.52
पु.	R.	-119.17			

(I) 15335.00 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 15000.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2501" - "मरुस्थल विकास कार्यक्रम - अन्य व्यय - वात-प्रवाह सह्यकरण (ड्राट प्रूफिंग) के लिए विशेष कार्यक्रम"- 5000.00 लाख रु. वित्त मंत्रालय को स्कीम का अंतरण किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 10000.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोजन किए जाने और व्यपगत न होने वाले पूल को शेष निधियों के अभ्यर्पण के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - मूल्यनिरूपण, निगरानी तथा मूल्यांकन"

(I) Provision of Rs.15335.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.15000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2501"- "Desert Development Programme-Other Expenditure- Special Programme for Draught Proofing"-Rs.5000.00 lakhs -due to transfer of the scheme to the Ministry of Finance.

(B) Major Head "2552"- "Other Expenditure - Provision for Project/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"-Rs.10000.00 lakhs-due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of remaining funds to non-lapsable pool.

(II) Under Major Head "3601"- "Grants for Central Plan Schemes -Waste Land Development- National Waste Land Development Programme- Appraisal, Monitoring and Evaluation"-saving of

के अंतर्गत 426.65 लाख रु. की बचत (475.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3602” - “केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राजस्व और भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण” के अंतर्गत 118.65 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से निधियां जारी किए जाने के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 135.00 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत तथा 53 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “2501” - “बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम”- 3748.99 लाख रु. का अधिक व्यय (31200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान” निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत:-

(क) “भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राजस्व तथा भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण”- 711.33 लाख रु. का अधिक व्यय (5250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) “बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम”- 1768.31 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय मुख्य शीर्ष “2552” से पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 67.23 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत था।

Rs.426.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.475.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(III) Under Major Head “3602”-“Grants for Central Plan Schemes-Land Reforms-Other Grants-Modernisation of Revenue and Land Administration”-saving of Rs.118.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for release of funds from the Union Territory Governments.

(IV) Under two heads savings of Rs.135.00 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 22 percent and 53 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2501”-“Waste Land Development-National Waste Land Development Programme-Integrated Waste Lands Development Programme”-excess of Rs.3748.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.31200.00 lakhs);

(B) Major Head “3601”-“Grants for Central Plan Schemes” under the following heads:-

(a) “Land Reforms-Other Grants-Modernisation of Revenue and Land Administration”-excess of Rs.711.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5250.00 lakhs); and

(b) “Waste Land Development-National Waste Land Development Programme-Integrated Waste Lands Development Programme” - excess of Rs.1768.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under one head excess of Rs.67.23 lakhs occurred constituting 22 percent of the sanctioned provision.